संख्या- **6/2025** सीमित दायित्व वाली अन्य सरकारी समितियों के अंशकों का क्रय 2025-26 49-3002/3/2024-सहकारिता अनुभाग-3 (I/1093724/2025)

प्रेषक:

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
उ0प्र0 शासन।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-158/लेखा-अ/2025-26/आय- व्ययक, दिनांक 14 जुलाई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में '' राज्य सरकार से सीमित दायित्व वाली अन्य सरकारी समितियों के अंशकों का क्रय'' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025- 26 में अनुदान संख्या -18 के अधीन पूंजीगत मद में मुख्य लेखाशीर्ष '' 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 200- अन्य निवेश, 03- राज्य सरकार से सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशकों का क्रय, 30- निवेश/ ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति मा0 राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियमों/शर्तों/ प्रतिबन्धों</u>

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धानराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राजकोष से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि वास्तविक रूप से अपेक्षित हो।

(3) प्राविधानित धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिसके लिए बजट प्राविधान किया गया है।

(4) प्राविधानित धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना/कार्यक्रम में न हो।

(5) प्राविधानित धनराशि का व्यय किये जाने में इसकी द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्राविधानित धनराशि का व्यय नेशनल कोआपरेटिव एक्सपोर्ट लि0 (एन0सी0इ0एल0) नई दिल्ली की सदस्यता ग्रहण किये जाने हेतु उसके रूपये 10000.00 प्रति अंश के 1000 अंशों का क्रय किया जायेगा, जिसकी सूचना तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, लखनऊ का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000.00 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्षक 4425002000300 राज्य सरकार से सीमित दायित्व वाली अन्य सरकारी समितियों के अंशकों का क्रय मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-2-45-X-2025-26 दिनांक: 4-9-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- (1)/49-3-2025 , तद्दिनांक</u> ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
5) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।